भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2789

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान

2789. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन्नत कोयला खनिज प्रसंस्करण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में कार्यरत शोधकर्ताओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय या तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) या कार्बन प्राप्ति और भंडारण (सीसीएस) प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान के लिए किसी विशिष्ट कोयला ब्लॉक का आबंटन किया गया है;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों के संबंध में किया गया अनुसंधान सतत खनन और पर्यावरणीय सुधार में योगदान करता है;

(घ) इन अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों का उपयोग करके खान सुरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों में खान पुनर्ग्रहण, भूजल प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के संबंध में प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों में अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों और निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है जो नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और जनता तक प्रसारित किया गया है; और

(छ) क्या कोयला क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर अनुसंधान हेतु उपलब्ध कोयला ब्लॉकों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है और भारत की कोयला मांगों को संतुलित करने के लिए अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों की क्या परिकल्पना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): सरकार निम्नलिखित कार्यतंत्रों के माध्यम से उन्नत कोयला परिष्करण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है:

(i) कोयला मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) स्कीम- कोयला परिष्करण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण संरक्षण आदि संबंधी परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और शैक्षणिक

संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं को स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इनकी निगरानी की जाती है।

(ii) कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाएँ - कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, निम्न-श्रेणी के कोयले के उपयोग और शुष्क परिष्करण पर ज़ोर देते हुए, कोयला संसाधन प्रौद्योगिकियों के विकास और ईष्टतमीकरण हेतु लक्षित परियोजनाओं की सहायता करते हैं। प्रमुख भागीदार संस्थानों में आईआईटी, सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ और सीएमपीडीआई शामिल हैं।

इन पहलों का उद्देश्य संधारणीय कोयला उपयोग को बढ़ावा देना और स्वदेशी प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार ने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक स्कीम लांच की है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की सहायता करने के लिए नए उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति के अंतर्गत एक नया उप-क्षेत्र शामिल है, जो "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस के उत्पादन" पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के राजस्व शेयर पर 50% की छूट उपलब्ध है, बशर्ते कि कम से कम 10% कोयले का उपयोग गैसीकरण के लिए किया जाए।

(ख): "भारतीय भू-खनन परिस्थितियों" में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक प्रायोगिक परियोजना को सीएमपीडीआई, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक. (ईईटीआई), कनाडा द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला खान (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) में संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग): वर्तमान में, सरकार द्वारा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए कोई अप्रयुक्त कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया है। तथापि, कोयला कंपनियों द्वारा सक्रिय कोयला ब्लॉकों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल ईसीएल की परित्यक्त कोयला खान में भूमिगत कोयला गैसीकरण पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य कर रही है।

(घ) से (च): उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ): वर्तमान में, विशिष्ट रूप से अनुसंधान प्रयोजनों के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित करने की कोई योजना नहीं है।

****